उत्तर प्रदेश सरकार
उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती एवं प्रोन्नति बोर्ड
19 सी, तुलसी गंगा कॉम्पलेक्स, विधानसभा मार्ग,
लखनऊ, उत्तर प्रदेश–226001

सूचना/विज्ञप्ति

पुलिस उपनिरीक्षक (गोपनीय), पुलिस सहायक उपनिरीक्षक (लिपिक) एवं पुलिस सहायक उपनिरीक्षक (लेखा) के पदों पर सीधी भर्ती–2023 के अन्तर्गत दिनांक 02.11.2025 को एक पाली में सम्पन्न ऑफलाइन लिखित परीक्षा के प्रश्नों तथा आन्सर–की (उत्तर कुंजी) के सम्बन्ध में ऑनलाइन आपत्तियां प्राप्त करने के सम्बन्ध में

संख्याःपीआरपीबी–बी(लिपिक संवर्ग)–15/2025, दिनांकः नवम्बर ,2025

पुलिस उपनिरीक्षक (गोपनीय), पुलिस सहायक उपनिरीक्षक (लिपिक) एवं पुलिस सहायक उपनिरीक्षक (लेखा) के पदों पर सीधी भर्ती–2023 के अन्तर्गत दिनांक 02.11.2025 को एक पाली में सम्पन्न ऑफलाइन लिखित परीक्षा के प्रश्नों तथा आन्सर–की (उत्तर कुंजी) बोर्ड की वेबसाइट http://uppbpb.gov.in पर निम्नानुसार प्रदर्शित की जा रही है :–

क0सं0	परीक्षा की तिथि	आपत्ति प्रस्तुत करने की प्रारम्भिक तिथि	आपत्ति दाखिल करने की अन्तिम तिथि
1	02.11.2025	08.11.2025	11.11.2025 की रात्रि 12:00 बजे तक

2– अभ्यर्थियों को किसी प्रश्न या किसी प्रश्न के उत्तर विकल्प या उत्तर कुंजी के सम्बन्ध में कोई विसंगति प्रतीत होती है तो वे अपनी आपत्ति सुसंगत अभिलेख/सूचना/सन्दर्भ (Reference) के साथ ऑनलाइन दर्ज करा सकते हैं। अभ्यर्थियों को आपत्ति दर्ज कराने हेतु बोर्ड की वेबसाइट पर उपलब्ध लिंक पर जाकर अपना रजिस्ट्रेशन नम्बर, जन्म तिथि व प्रश्न पुस्तिका कमांक की सहायता से लॉगिन करना होगा, जिसमें प्रत्येक अभ्यर्थी केवल अपने प्रश्न पत्र/उत्तर कुंजी देख सकेंगे।

3– जिस प्रश्न पर एक बार आपत्ति दर्ज की जा चुकी है, उस पर पुनः आपत्ति दर्ज करने हेतु अपने आपत्ति को Delete (डिलीट) करें एवं पुनः आपत्ति दर्ज करें।

4– अभ्यर्थियों को सुझाव दिया जाता है कि आपत्ति दर्ज करने से पूर्व उसका भली भांति परीक्षण करने के उपरान्त ही आपत्ति दर्ज करें। आपत्ति किये गये प्रत्येक प्रश्न पर अपनी आपत्ति को सबमिट करें। अन्त में सम्पूर्ण प्रश्नपत्र को सबमिट करें। जब तक सम्पूर्ण प्रश्नपत्र को पूर्णतः सबमिट न कर दिया जाये तब तक आप बचे हुए प्रश्नों पर आपत्ति दर्ज कर करते है।

5– अभ्यर्थी अपनी आपत्ति केवल बोर्ड की वेबसाइट पर उपलब्ध लिंक के माध्यम से ऑनलाइन ही दर्ज करा सकते हैं। इससे भिन्न किसी अन्य माध्यम से प्रेषित आपत्तियों यथा रजिस्ट्री, डाक, ई मेल आदि पर कोई विचार नहीं किया जायेगा। ।

6– यद्यपि इस सूचना को वेबसाइट पर अपलोड किये जाने में पर्याप्त सावधानी बरती गयी है, फिर भी किसी प्रकार की तकनीकी त्रुटि के लिये बोर्ड उत्तरदायी नहीं होगा। और न ही त्रुटि पाये जाने पर त्रुटिपूर्ण अंकन का किसी को किसी प्रकार का लाभ या अधिकार प्राप्त होगा या अनुमन्य होगा ।

पुलिस उप महानिरीक्षक/अपर सचिव, भर्ती
उ0प्र0 पुलिस भर्ती एवं प्रोन्नति बोर्ड,
लखनऊ।
08.